

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक/02.02.2017

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42 :: राज्य शासन, एतद्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- +ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (एं.आई.सी.टी.ई) एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है:-

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1	अंजली जैन	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक जगदलपुर
2	हुमिका ताम्रकार	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगांव

2/ उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी:-

- (क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम -1988 के नियम -12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13(1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर होगी तथा नियम -13(2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा परीवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी। नियम-13(3) के अनुसार परीवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परीवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्त प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परीवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

